अनुपस्थित

23/12/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0 मूल वाद 97/24 अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। पत्रावली के साथ शुमार किया जाए दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

Scanned with OKEN Scanner